

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन जाखम परियोजना खण्ड धरियावद

Fax No. 02950-270021

E-mail ID- jakhamdivisiondhariyawad@gmail.com

क्रमांक :- अ.अ./जापख/...../2020-21/ 723


दिनांक :- 29-7-2020

श्रीमान् निदेशक,
सूचना एवं जन सम्पर्क निदेशालय,
राजस्थान, जयपुर।

विषय :- विज्ञप्ति जारी करने बाबत्।

महोदय जी,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुर्नव्यस्थापन में उचित और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार फोर वटर्स अन्तर्गत घाटा माईकों सिंचाई योजना के तालाब के डूब/निर्माण में अवाप्त भूमि हेतु धारा 19 के प्रस्ताव का प्रकाशन दो स्थानीय अखबार में जारी कराने का श्रम करावें। साथ ही समाचार पत्रों में प्रकाशित का बिल इस कार्यालय को भिजवायें।
संलग्न :- धारा 19 के प्रस्ताव


(शमाधार मीना) 29.7.2020
अधिशाषी अभियन्ता
जल संसाधन जाखम परियोजना
खण्ड धरियावद

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) तहसील लसाडियां जिला उदयपुर

भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुर्नर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार ग्राम धामनियां (जागीर) में फोर वाटर्स अन्तर्गत घाटा माइक्रो सिंचाई योजना के तालाब के डूब/निर्माण में अवाप्त भूमि हेतु धारा - 19 के प्रस्ताव


भूमि अवाप्ति अधिकारी -उपखण्ड अधिकारी लसाडिया, जिला - उदयपुर
ग्राम - धामनिर्या (जांगीर) , तहसील - लसाडिया, जिला - उदयपुर (राज.) के अवाप्त भूमि की खातेदारी की सूची


क्र.सं	खसरा नम्बर	कुल क्षेत्रफल रकबा (हैक्टेयर मे)	किस्म जमीन	अवाप्ति भूमि (हैक्टेयर मे)	नाम खातेदार
गांव धामनिर्या (जांगीर) रकबा हैक्टर में					
1	160	0.1512	बा II	0.0863	केशीया पिता चौखा मीणा सा.देह खातेदार
2	161	0.2377	बा II	0.2377	पांचीया पिता उंकार 1/2 चतरा पिता रकवा 1/2 मीणा
3	162	0.5616	बा I	0.5616	भगानी पत्नि थावर चन्द्र 1/5, नाथीया, भेरीया पिता नानजी 2/5, केरिया, पेमला, कमली पिता गोतमा 1/5 हि.ब. बगदीराम शंकर पिता चाचीया, लिम्बडी पत्नि चाचीया 1/5 मीणा
4	164	0.4645	बा II	0.0431	केशीया हकरिया पिता उदा, रूपली बेवा उदा 1/3 मोता उदा पिता गांगा, बालकी पत्नि गांगा 1/3 कालिया पिता देवजी 1/3 मीणा सा. देह हि.ब खातेदार
5	166/16	1.026	बीड प्रथम	0.8627	पांचीया पिता उंकार 1/2 चतरा पिता रकवा 1/2 मीणा
6	166/17	0.421	मगरी	0.2711	विलानाम (राज. सरकार)
7	166/18	1.728	वारानी तृतीय	0.4190	थावराचन्द्र लिम्बाराम बाबुराम पिता मेंगा मीणा सा.देह खातेदार
8	163/1	0.842	बीड प्रथम	0.0246	केशीया पिता चौखा मीणा सा. देह खातेदार
9	163/2	0.378	बीड प्रथम	0.0062	केशीया हकरिया पिता उदा मु. रूपली बेवा उदा 1/3 मोता उदा पिता गांगा, बालकी पत्नि गांगा 1/3 कालिया पिता देवजी 1/3 मीणा सा. देह हि.ब खातेदार
10	169	0.3133	बा II	0.1540	भगानी पत्नि थावर चन्द्र 1/5, नाथीया, भेरीया पिता नानजी 2/5, केरिया, पेमला, कमली पिता गोतमा 1/5 हि.ब. बगदीराम शंकर पिता चाचीया, लिम्बडी पत्नि चाचीया 1/5 मीणा


11	170	0.183	बारानी तृतीय	0.1830	लखीया पिता रतना 1/2 बगदीराम कानाराम लोगरलाल लिम्बडी पिता गोतिया हीरकी पत्नी गोतिया मीणा 1/2 सा0 देह खातेदार
12	171	0.097	बारानी तृतीय	0.097	नारू धुली पिता धनिया मेगली पत्नी धनिया मीणा
13	178	17.8123	मगरी	0.6039	विलानाम (राज. सरकार)
14	178/1	0.259	बारानी तृतीय	0.2403	बाबूलाल, मिठालाल पिता लखमा मेघली पत्नी लखमा ही.व. मीणा सा.देह.
15	178/7	1.728	बारानी तृतीय	0.9489	नाथू पिता नानजी मीणा सा. देह खातेदार
16	178/10	0.648	बारानी तृतीय	0.2157	गोतीया पिता नानजी मीणा सा. देह खातेदार
			कुल	4.9551	


गोश्वारा फोर वाटर्स तालाब के डूब/ निर्माण मे अवाप्त भूमि का विवरण रकबा हैक्टेयर में

क्रं.सं	गांव	खातेदार	चरागाह	बिनानाम	योग रकबा हैक्टेयर में
1	धामनिया (जागीर)	4.0801	0	0.875	4.9551


सहायक अभियन्ता
जल संसाधन उपखण्ड
धरियावद


(रामाधार मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
जल संसाधन जाखम परियोजना
खण्ड धरियावद


(मणीलाल तिरगर)
भूमि अवाप्ति अधिकारी
(उपखण्ड अधिकारी)
लसाडिया जिला उदयपुर


अधिशाषी अभियन्ता
जल संसाधन जाखम परियोजना
खण्ड धरियावद, जिला-धरियावद
DBO Code 783

राजस्थान सरकार
(जल संसाधन विभाग)

क्रमांक : 35/भू.अ./ज.स./2015/661-664

दिनांक :- 30.06.2020

घोषणा


चूंकि राज्य सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात फॉर वाटर कन्सेप्ट के अन्तर्गत घाटा माईक्रो सिंचाई परियोजना के ड्रब/निर्माण में अवाप्त होने वाली भूमि को अवाप्ति किया जाना आवश्यक है। यह घोषणा की जाती है कि निम्नांकित वर्णित भूमि की उक्त प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।


यह घोषणा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 के प्रावधानों के अनुसार उन सब हितकारियों के निमित्त जिनका इससे सम्बन्ध हो, जारी की जाती हैं तथा भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) लसाडियां को कथित भूमि की अवाप्त के निमित्त कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया जाता है।


भूमि के नक्शे का निरीक्षण भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) लसाडिया तथा अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन जाखम परियोजना खण्ड धरियावद के कार्यालय में किया जा सकता है।

विवरण
संलग्न सची के अनुसार

संलग्न :- सूची


(रामाधार मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
जल संसाधन जाखम परियोजना
खण्ड धरियावद

आज्ञा से,

(जितेन्द्र दीक्षित)
उप सचिव एवं प्रावै. सहायक
वास्ते मुख्य अभियन्ता जल संसाधन
राजस्थान जयपुर


अधिशाषी अभियन्ता
जल संसाधन जाखम परियोजना
खण्ड धरियावद, जिला-प्रतापगढ़
DDO Code 793